किशोर न्याय की आयु कम करना: बाल-केंद्रित न्याय के लिए एक पीछे हटता कदम

UPSC प्रासंगिकता GS II: बाल अधिकार, आपराधिक न्याय सुधार, विधायी नीति **GS IV:** दंड बनाम पुनर्वास की नैतिकता

IAS-PCS Institute

चर्चा में क्यों?

दिसंबर 2025 में पेश किए गए एक 'गैर-सरकारी विधेयक' (Private Member's Bill) में **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य जघन्य अपराधों (कम से कम सात साल के कारावास से दंडनीय अपराध) के आरोपी बच्चों के लिए आयु सीमा को **16 वर्ष से घटाकर 14 वर्ष** करना है। यह प्रस्ताव कम उम्र के किशोरों को वयस्कों की तरह आपराधिक मुकदमों और जेल की सजा के जोखिम में डाल देगा, जिससे बाल अधिकारों, संवैधानिक सिद्धांतों और किशोर न्याय के वास्तविक उद्देश्य पर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

पृष्ठभूमि: भारत में किशोर न्याय का दर्शन

भारत की किशोर न्याय प्रणाली इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे विकास की दृष्टि से वयस्कों से भिन्न होते हैं और उनमें सुधार की अधिक संभावना होती है। परिणामस्वरूप, कानून सजा के बजाय देखभाल, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्संयोजन को प्राथमिकता देता है।

हालांकि, 2012 के दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले के बाद, 2015 के अधिनियम ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसमें "हस्तांतरण प्रणाली" (Transfer System) की शुरुआत की गई, जिसके तहत जघन्य अपराधों के आरोपी 16-18 वर्ष के बच्चों को **किशोर न्याय बोर्ड** (JJB) द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद वयस्कों के रूप में आज़माया जा सकता है। बाल-केंद्रित दृष्टिकोण से यह विचलन न तो अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित था और न ही विधेयक की जांच करने वाली संसदीय स्थायी समिति ने इसका समर्थन किया था।

हस्तांतरण प्रणाली की समस्याएँ

हस्तांतरण प्रणाली के तहत JJB को बच्चे की मानसिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की उसकी योग्यता का आकलन करना होता है। व्यवहार में, यह ढांचा अत्यंत समस्याग्रस्त सिद्ध हुआ है:

- **वैज्ञानिक उपकरणों का अभाव:** किशोरों में वयस्कों के स्तर की आपराधिक क्षमता का विश्वसनीय आकलन करने के लिए कोई पुख्ता वैज्ञानिक तरीका नहीं है।
- **व्यक्तिपरक संकेतकों पर निर्भरता:** यह पश्चाताप, भय या गलत काम की जागरूकता जैसे व्यक्तिपरक कारकों पर आधारित है।
- **असंगत परिणाम:** एक जैसे मामलों में अलग-अलग बच्चों के साथ अलग-अलग व्यवहार होने की संभावना रहती है। यह प्रणाली सुधारात्मक उद्देश्य के बजाय व्यक्तिगत दोष पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे किशोर न्याय का मूल आधार कमजोर होता है। इसे 14 वर्ष तक के बच्चों तक बढ़ाना बचपन के और भी नाजुक चरण में अनिश्चितता पैदा करेगा।

कम उम्र के किशोरों द्वारा बढ़ते अपराध का भ्रम

विधेयक में आयु सीमा कम करने का तर्क यह दिया गया है कि 14-16 वर्ष के बच्चों द्वारा गंभीर अपराधों में वृद्धि हुई है। हालांकि, **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** (NCRB) 2023 के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं:

- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (CICL) से जुड़े अपराध कुल अपराधों का केवल **0.5%** हैं।
- पकड़े गए कुल किशोरों में से **79% की आयु 16-18 वर्ष** के बीच थी।
- केवल **21% किशोर 12-16 वर्ष** के आयु वर्ग के थे। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि कम उम्र के किशोर गंभीर अपराधों की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं।

संरचनात्मक संवेदनशीलता, न कि आपराधिकता

अक्सर जो बच्चे कानून के उल्लंघन में पाए जाते हैं, वे स्वयं देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। उनकी संलिप्तता निम्नलिखित कारणों को दर्शाती है:

- गरीबी और सामाजिक बहिष्कार।
- पारिवारिक अस्थिरता।

- शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी। किशोर न्याय की आयु कम करना वास्तव में उनकी 'असुरक्षा' को 'अपराध' में बदलने जैसा है, जो अपराध के मूल कारणों को संबोधित किए बिना उन्हें सजा की व्यवस्था में धकेल देता है।

वयस्क आपराधिक प्रक्रियाओं के परिणाम

किशोरों को वयस्कों जैसी आपराधिक प्रक्रियाओं से गुजारने के गंभीर परिणाम होते हैं:

IAS-PCS Institute

- शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास में बाधा।
- दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात और सामाजिक कलंक।
- अपराधी प्रवृत्ति के दोबारा उभरने (Recidivism) की उच्च संभावना।

सुधार का मार्ग: बच्चे को नहीं, व्यवस्था को बदलें

गंभीर अपराधों के प्रति सार्थक प्रतिक्रिया के लिए सजा के बजाय प्रणालीगत सुधार पर ध्यान देना चाहिए:

1. **प्रारंभिक हस्तक्षेप को मजबूत करना:** पारिवारिक सहायता, शिक्षा और समुदाय आधारित कार्यक्रम।
2. **मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं:** जोखिम वाले किशोरों के लिए मनोसामाजिक सहायता।
3. **संस्थागत जवाबदेही:** JJB का प्रशिक्षण, बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाएं और कानूनी सुरक्षा उपायों का सख्त पालन।
4. **तथ्यों पर आधारित नीति निर्धारण:** आपराधिक कानून में सुधार लोक-लुभावन भावनाओं के बजाय साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

निष्कर्ष

किशोर न्याय की आयु कम करना भारत के बाल-केंद्रित न्याय ढांचे से पीछे हटने और समानता, गरिमा तथा बच्चे के सर्वोत्तम हित के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर करने जैसा है। दंडात्मक प्रतिक्रियाएं प्रतीकात्मक आश्वासन तो दे सकती हैं, लेकिन वे किशोर अपराध के मूल कारणों को हल करने में विफल रहती हैं। सच्चा न्याय बच्चों से सुरक्षा छीनने में नहीं, बल्कि उन्हें सहारा देने वाली प्रणालियों को मजबूत करने में है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (MCQ)

प्रश्न: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अधिनियम के तहत "किशोर" को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
2. अधिनियम जघन्य अपराधों के आरोपी 16-18 वर्ष के किशोरों को, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद वयस्कों के रूप में आज़माने की अनुमति देता है।
3. बाल कल्याण समितियां (CWCs) कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए जिम्मेदार हैं।
4. अधिनियम देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास के साधन के रूप में गोद लेने (Adoption) का प्रावधान करता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A. केवल 1, 2 और 4 B. केवल 1 और 3 C. केवल 2 और 3 D. 1, 2, 3 और 4

सही उत्तर: A

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम बाल अधिकारों को न्याय और जवाबदेही की सामाजिक चिंताओं के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है। जघन्य अपराधों के आरोपी किशोरों के साथ व्यवहार करने पर हालिया विवादों के आलोक में इस संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)